

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

टावर नं०-01, तृतीय तल, के०पी०-4, ग्रेटर नौएडा

जनपद-गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)

पत्रांक: स्वा०वि०/2018/926

दिनांक 31/12/2018

सेवा में,

.....
.....
.....

ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ०प्र०)।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की Solid Waste Management के संबंध में अधिसूचना, दिनांक 08, अप्रैल 2016 के अनुपालन में प्राधिकरण परिक्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) हेतु दि० 10.03.2018 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स में निम्नानुसार सूचना विज्ञापित करायी गयी थी।

“समस्त ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पादक से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत औसतन 100 कि०ग्रा० प्रतिदिन की दर से अधिक अपशिष्ट उत्पादन करने वाले सरकारी विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावासों, होटलों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, बाजारों, पूजा स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों द्वारा अधिकृत भवन भी हैं को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 03 (तीन) माह के भीतर अपने-अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जारी Solid Waste (Management & Handling) Rules, 2016 के उपनियम 3 (8), (44), 4(1-a), (6), (7) & (8) के अनुपालन के तहत अपने जनित अपशिष्ट को पृथक-पृथक करके जैविक अपशिष्ट/ठोस अपशिष्ट को अपने स्तर पर ही वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त नियम का उल्लंघन पाये जाने पर Bulk Waste Generators के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उक्त Bulk Waste Generators की स्वयं की होगी। इस सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग, तृतीय तल, टावर नं०-01, सैक्टर के०पी०-01, ग्रेटर नौएडा के कार्यालय से सम्पर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।”

उक्त नोटिस के सार्वजनिक प्रकाशन के उपरान्त भी आपके स्तर से प्रभावी कार्यवाही ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादन/निस्तारण हेतु नहीं की गयी है। इस कारण विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार व “भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, दि० 08 अप्रैल, 2016” के प्राविधानों के अनुसार आपको यह नोटिस प्रेषित किया जा रहा है।

आप इस नोटिस की प्राप्ति के तुरन्त उपरान्त ठोस व जैविक अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादन/निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि 30 दिन के अन्दर, आपके संस्थान से जनित

अपशिष्ट कचरे को ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम-2016 के अन्तर्गत पृथक करके वैज्ञानिक पद्धति से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हस्तन/निष्पादन/निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार आप पर उचित कार्यवाही/अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(विकास कुमार)

वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)

Application for De-Listing as Bulk Waste Generator

(To be used after 6 months of successful implementation of Bulk Generator SWM Rules)

Application for de-listing as Bulk Waste Generator

To

Chief Executive Officer

Greater Noida Industrial Development Authority

Sub.:- Application for de-listing as Bulk Waste Generator.

I/We/M/s** located at premises
..... (address) (Mobile)
..... (e-mail) am/are a member of
..... RWA/Market Association
/Hotel/Restaurant/ (mention trade) and holder of Greater
Noida Industrial Development Authority occupancy certificate/Property Tax Assessment No.-
..... or trade license no. The business activity at the
premises is or the premises is used for multipurpose
activities/gatherings/domestic/commercial purposes.

We have been listed as Bulk Generator by you. But due to better waste management and reduction, we are now consistently generating less than 100kg./day of waste. It is requested to verify the waste generated at our premises and de-list us from Bulk Generator category. We will co-operate with the officials verifying our claim without any notice at any time of our business.

We undertake to pay additional one month of our present SWM charges/fees as penalty if our claim fails on verification.

Authorised signatory
** strike out whatever not applicable.



Self Declaration Format

Self-Declaration Format

I/We/M/s** located at premises
..... (address) (Mobile)
..... (e-mail) am/are a member of
/Hotel/Restaurant/ RWA/Market Association
Noida Industrial Development Authority occupancy certificate/Property Tax Assessment No.-
..... or trade license no. The business activity at the
premises is or the premises is used for multipurpose
activities/gatherings/domestic/commercial purposes.

I/We/M/s. hereby self-declare that the total daily waste generated from our premises is 100 kg. Or less, hence not a bulk generator.

I/We/M/s. understand that the urban local body is free to enter the premises to check and verify the quantity of waste generated in the premises. During any such verification, if more than 100 kg. waste is found generated, this self-declaration becomes void and I/we/M/s can be categorized as bulk generator and urban local body can impose penal charges as applicable from the date of effect for blk generator's responsibilities as per public notice

Authorised signatory
** strike out whatever not applicable

